

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी रुबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :- 272/2022

निर्णय दिनांक :- 27.02.2026

उनवानी दावा:

1. बंद्री पुत्र सुखदेवा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
2. सत्यनाराण पुत्र सुखदेवा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
2. रामस्वरूप पुत्र भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
3. हंसराज पुत्र भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
5. उपपंजीयक महोदय, देवली जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
तहसीलदार देवली

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 18.08.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से क्रमांक :भू0अ0/2025/1326 दिनांक 23.04.2025 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट 1326 दिनांक 23.04.2025 का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और कथन किया कि मुताबिक हाल कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली

Ruby


द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 26 कुल खसरा किता-5, कुल रकबा 0.5000 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली भू0अ0नि0 देवली तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 26 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

| क्र. सं. | नाम खातेदार | ख. नं. | रकबा हैक्टेयर में | लगान | किस्म |
|----------|---|--------|-------------------|------|--------|
| 1 | बट्टी सत्यरानायण पुत्र सुखदेवा जाति माली सा0देह खातेदार | 2311 | 0.05 | 1.65 | चाही-। |
| | | 2316 | 0.03 | 0.99 | चाही-। |
| | | 2315 | 0.15 | 4.95 | चाही-। |
| | | 2317/1 | 0.01 | 0.33 | चाही-। |
| | | 2312/1 | 0.01 | 0.33 | चाही-। |
| कुल योग | | किता 5 | 0.25 | 8.25 | - |
| 2 | अम्बालाल रामस्वरूप हंसराज पुत्र भूरा जाति माली सा0 देह0 खातेदार | 2317/2 | 0.19 | 6.27 | चाही-। |
| | | 2312/2 | 0.06 | 1.98 | चाही-। |
| कुल योग | | किता 2 | 0.25 | 8.25 | - |

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.02.2026 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली
देवली (टीक)

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम रूबी अंसार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा:

1. बंदी पुत्र सुखदेवा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
2. सत्यनाराण पुत्र सुखदेवा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0

-वादीगण-

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
2. रामस्वरूप पुत्र भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
3. हंसराज पुत्र भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
5. उपपंजीयक महोदय, देवली जिला टोंक राज0

-प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
तहसीलदार देवली

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 272 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एवं तहसीलदार देवली मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय अंतिम डिक्री दी जाती है ..

आदेश

तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली के आराजीयात

Ruley

खाता संख्या 26 कुल खसरा किता-5, कुल रकबा 0.5000 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली भू0अ0नि0 देवली तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 26 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

| क. सं. | नाम खातेदार | ख. नं. | रकबा हैक्टेयर में | लगान | किस्म |
|---------|---|--------|-------------------|------|--------|
| 1 | बट्टी सत्यरानायण पुत्र सुखदेवा जाति माली सा0देह खातेदार | 2311 | 0.05 | 1.65 | चाही-। |
| | | 2316 | 0.03 | 0.99 | चाही-। |
| | | 2315 | 0.15 | 4.95 | चाही-। |
| | | 2317/1 | 0.01 | 0.33 | चाही-। |
| | | 2312/1 | 0.01 | 0.33 | चाही-। |
| कुल योग | | किता 5 | 0.25 | 8.25 | - |
| 2 | अम्बालाल रामस्वरूप हंसराज पुत्र भूरा जाति माली सा0 देह0 खातेदार | 2317/2 | 0.19 | 6.27 | चाही-। |
| | | 2312/2 | 0.06 | 1.98 | चाही-। |
| कुल योग | | किता 2 | 0.25 | 8.25 | - |

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना
आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 02 सन् 2026 को जारी किया गया।

दस्तख्त
ओहदा
देवली (टोक)

मुहर

| मुददई | रु. | पै. | मुददायलह | रु. | पै. |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अदालत नामा | | | स्टाम्प अदालत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनतान वकील | | |
| मेहनतान वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजरायहुक्मनामा | | |
| बाबत् इजरायहुक्मनामा | | | अन्य मिजान | | |
| अन्य | | | | | |
| मिजान | | | | | |

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।